

आधार पर निराधार आपत्तियां



रविशंकर प्रसाद


आम लोगों को आधार से पितिहासी होने की जरूरत नहीं, लेकिन कालेधन के कारोबारियों, आतंक को पोषित करने और अपणाधियों को संस्थापन देने वालों को जरूर पितिहासी होना पड़ेगा

भा

रत की विकास यात्रा में आधार क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। यह बिचौलियों और भ्रष्टाचार को समाप्त कर गयी बढ़ते तक उनका हक पहुंचा रहा है। डिजिटल समावेशन और डिजिटल सशक्तीकरण डिजिटल इंडिया के दो प्रमुख लक्ष्य हैं जिसे हासिल करने में आधार अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ की आवादी में 119 करोड़ लोग आधार के तहत पंजीकृत हो चुके हैं। दुनिया इसे भारत के ऐसे आविष्कार के तौर पर देख रही है जो फेसबुक, गूगल, ट्रिवटर जैसे बड़े डिजिटल आविष्कारों की बगवारी कर रहा है। कल तक भ्रष्टाचार और शासकीय लापरवाही से जूझते मनरेगा मजदूर के चेहरे पर आज इसलिए मुस्कान है, क्योंकि आधार के कारण उसका मेहनताना सीधे उसके बैंक खाते में पहुंच रहा है। आधार के कारण ही लगभग 80 हजार फर्जी शिक्षकों को निकालना संभव हुआ। आधार जनता के पैसे बचा रहा है। फर्जी गैंग्स कनेक्शन, फर्जी राशन कार्ड या फर्जी शिक्षकों को हटाकर लगभग 57 हजार करोड़ रुपये की जो बचत हुई है उसका लाभ

गयीब हितेशी योजनाओं को ही होगा। आखिर पारदर्शिता और सुशासन की ये उपलब्धियां हमारे लिए गर्व की बात क्यों नहीं हैं? संप्रग सरकार और राजग सरकार के आधार में बड़ा अंतर है। संप्रग सरकार के समय आधार को कोई कानूनी, विधायी सुक्ष्मा या मान्यता हासिल नहीं थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने आधार को तकनीकी रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाने के अलावा एक सबल कानूनी सुक्ष्मा भी प्रदान किया है। आधार कानून न केवल आधार के उपयुक्त रखरखाव को सुनिश्चित करता है, बल्कि उसकी पूरी प्रणाली को एक उत्तरदावी प्रशासन भी बनाता है।

इसमें भी सबसे अहम है व्यक्तिगत निजता की सुक्ष्मा के लिए कड़े प्रावधानों की व्यवस्था। यह कानून आधार बायोमीट्रिक डाटा के दुरुपयोग के लिए कड़े दंड और अपणाधिक अभियोग का प्रावधान भी करता है।



योजनाओं का लाभ दें और साथ ही यह प्रयास भी करें कि उसका आधार भी बनवाया जा सके।

निजता के मामले में अधिक स्पष्टता की जरूरत है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने निजता के मामलों का मौलिक ढांचा तैयार कर दिया है और जाहिर तौर पर इसे संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़कर देखा है। निजता की आड़ में तकनीकी क्षेत्र में हो रही नई खोजों को गेंक नहीं जा सकता। भारत आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप केंद्र के रूप में उभरा है। नई खोज करने के लिए डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। देश आज डाटा अन्वेषण का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाता जा रहा है जो आईटी से जुड़ी खोजों, अर्थव्यवस्था के विकास और रेंजगर मुजन के लिए एक सुनहरा अवसर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में डाटा के प्रयोग से नई खोजों की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए निजता का तर्क भ्रष्ट और अपणाधियों के बचाव की दाल नहीं बन सकता। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो डाटा सुक्ष्मा कानून के संबंध में अपनी सिफारिशें जल्द ही देगी।

पूरी व्यवस्था बायोमीट्रिक डाटा की सुक्ष्मा के पैमानों पर मजबूती से खरी उतरती है और यह नियमित रूप से विशेषज्ञों की निगरानी में रहती है। जो लोग अपना आधार नंबर साझा नहीं करना चाहते उनकी सुविधा के लिए आधार ने हाल में वर्चुअल आइडी की व्यवस्था भी शुरू की है। आधार की सफलता जगजाहिर है। विश्व बैंक ने 2016 में जारी विश्व विकास रिपोर्ट में कहा है, 'भारत के आधार जैसा डिजिटल पहचान तंत्र किसी भी सरकार को समावेशी विकास करने में मददगर होता है।' आधार ने भारत की डिजिटल उपलब्धियों को नया आधार दिया है।

(लेखक केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री है)

response@jagran.com

पूरी तरह निराधार है कि आधार आपकी निजी सूचनाओं की प्रोफाइल बना रहा है।

आधार कानून के तहत आपके बायोमीट्रिक को ग्राही सुक्ष्मा से जुड़ी अपरिहार्य परिस्थितियों में ही जाहिर किया जा सकता है। वह भी तब जब भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर का सत्यापन किस मकसद के लिए किया जा रहा है। आधार द्वारा योजना कीरीब छह करोड़ से अधिक सत्यापन किए जाते हैं और वह भी लगभग मुफ्त में। इस पूरी प्रक्रिया में आधार बस इतना बताता है कि जिस अधिकृत संस्था ने आपके आधार नंबर पर जिन अंगुलियों के निशान या आंखों के निशान का सत्यापन मांगा है वे आधार के डाटाबेस में रखी जानकारी से मेल खाते हैं या नहीं? यदि जानकारी सही पाई जाती है तो आधार इसको सत्यापित करता है और अगर गलत पाई जाती है तो रद्द कर देता है। आप जिन सेवाओं के लिए आधार का प्रयोग करते हैं उसे संबंधित आपकी व्यक्तिगत जानकारियां आधार अपने डाटाबेस में जमा नहीं करता। आधार के पास जाति, धर्म, शैक्षणिक योग्यता और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां नहीं होती। इसलिए वह कहना

को जरूर चिंतित होना पड़ेगा। डिजिटल पहचान आज आम हो गई है। फिर चाहे इंडिविंग लाइसेंस हो या मतदाता पहचान पत्र हो, उनकी जानकारी संबंधित विभागों की वेबसाइटों पर नियमित रूप से उपलब्ध होती है। कई जाहां पर प्रवेश के लिए भी आप डिजिटल पहचान के बाद ही दाखिल हो पाते हैं। कई देशों में वीजा जारी करने के लिए अंगुलियों के निशान मांगे जाते हैं। निबंधन से संबंधित कई कानूनों और नियमों के तहत जब आप जमीन की खण्ड-बिक्री करते हैं तो आपको अपने दस्तखत के साथ-साथ अंगुलियों के निशान भी देने पड़ते हैं। यह चलन पिछले कई सौ वर्षों से जारी है। आजकल कई अच्छे स्टार्टफोन भी आपकी अंगुलियों या चेहरे की पहचान के साथ ही खुलते हैं। इन सभी गतिविधियों में डिजिटल पहचान की जासकती है, बल्कि आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए बैंक खातों के दुरुपयोग पर भी अंकुश लगाया जा सकता। इससे आम नागरिकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन काले धन के कारोबारियों, आतंक को पोषित करने और अपणाधियों को संरक्षण देने वालों